

प्रेषक,  
विशेष सचिव,  
सूर्य पाल गंगवार,  
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,  
निदेशक,  
नागरिक उड्डयन,  
उ०प्र०, लखनऊ।

नागरिक उड्डयन अनुभाग

लखनऊ : दिनांक : 21 अगस्त, 2017

विषय : वित्तीय वर्ष 2017-18 के लिए आय-व्ययक में अनुदान संख्या-38 के अधीन व्यवस्थित अनुदान की धनराशि का प्रदेशन (एलॉटमेंट)।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-8/2017-बी-1-1190/दस-2017-231/2017, दिनांक 03 अगस्त, 2017 (प्रतिलिपि संलग्न) के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राज्यपाल महोदय चालू वित्तीय वर्ष 2017-18 में नागरिक उड्डयन विभाग की अनुदान संख्या-38 के राजस्व लेखा शीर्षक "2070", "2203" एवं "3053" के अधीन संलग्न विवरणों के अनुसार इंगित लेखा शीर्षकों के मदवार लघु इकाईयों में कुल रूपये 50,60,21,000/- (रूपये पचास करोड़ साठ लाख इक्कीस हजार मात्र) की धनराशि के व्यय हेतु आपके निवर्तन पर रखे जाने की स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2- उक्त धनराशि को आवश्यकतानुसार वचनबद्ध मदों के लिये उक्त शासनादेश संख्या-8/2017-बी-1-1190/दस-2017-231/2017, दिनांक 03 अगस्त, 2017 में दिये गये निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए व्यय किया जाये तथा व्यय के लिये जहां आवश्यक हो नियमानुसार शासन के सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुमति प्राप्त कर ली जाय।  
संलग्नक : यथोक्त।

भवदीय,

(सूर्य पाल गंगवार)  
विशेष सचिव।

पू०सं०-57/2017/514(1)/छप्पन-2017-तद्विनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम, उ०प्र०, इलाहाबाद।
- 2- महालेखाकार (आर्थिक एवं राजस्व लेखा परीक्षा), उ०प्र०, आडिट भवन, टीसी-35-वी-1, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
- 3- कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
- 4- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-7
- 5- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2
- 6- नियोजन अनुभाग-4
- 7- निदेशक, एयरोनॉटिकल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, उ०प्र०, लखनऊ एयरपोर्ट लखनऊ।
- 8- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(डॉ० सत्य प्रकाश तिवारी)  
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।  
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है।